संख्या– /// /VI-2/2011–3 (4)2009

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति , पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग –2

देहरादून दिनांक : 29 मार्च, 2011

विषय :–**जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में जी0आई0टी0आई0 मैदान मे स्टेडियम का निर्माण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–855/VI-2/2010–3 (4)/2009, दिनांक–3–11–2010 के अनुक्रम में तथा आपके पत्र सं0–4177/जी0आई0टी0आई0मै0पत्रा0/2010–11/दिनांक–25–1–2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में जी0आई0टी0आई0 मैदान में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम यूनिट–2 श्रीनगर गढ़वाल के आगणन के सापेक्ष प्रथम चरण के कार्य हेतु आंकलित/संस्तुत धनराशि रू0 2.82 लाख (रू0 दो लाख बयासी हजार) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, वित्तीय वर्ष 2010–11 में उक्त निर्माण कार्य हेतु रू0 2.82 लाख (रू0 दो लाख बयासी हजार) मात्र आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल आफ रेटस् में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित की जाय।
2. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
4. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्यजनर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
6. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

7. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय, तथा उपर्युक्त सामग्री ही प्रयोग की लायी जाय।

8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219 (2006) दिनांक– 30–6–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

9. उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–475/XXVII (7)/2008 दिनांक–154–12–2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित कर लिया जायेगा।

10. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2. उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद स्टेडियम–04–स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (नये कार्य)–00–24 वृहत निर्माण कार्य आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

3. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–1008 (पी) /XXVII (3)/2011 दिनांक–29 मार्च 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– /// /VI-I/2011–3(4)2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रिरा नगर, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पौड़ी।
3. वरिष्ठ प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम यूनिट–2 श्रीनगर (गढ़वाल)
4. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
7. एन0आई0सी0 देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव